# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086


क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/5314 दिनांकः– 06/01/2023

## –ःकार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 03 बैठक दिनांक 05.01.2023 को उपायुक्त (जोन 03) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 01. | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 186 व अन्य बट्टा नम्बर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। |

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 186 व अन्य बट्टा नम्बर का पूर्व में समिति दिनांक 03.05.2013 में लिये गए निर्णय के अनुसार उक्त खसरे के पूर्व में प्रमाणित एवं अनुमोदित दिनांक 22.07.2007 के ले–आउट प्लान को दिनांक 05.01.2023 को पारित 90 (क) के आदेश एवं विधि शाखा की टिप्पणी अनुसार भूखण्ड संख्या 39, 39–ए, व 40 को छोड़ते हुए यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

| एजेण्डा संख्या | विषय |
|---|---|
| 02. | राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 308/1 का कार्यालय युआईटी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 16 बनाप 1388.88 वर्गगज व 17 बनाप 1388.88 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 16 व 17 कुल बनाप 2777.77 वर्गगज का संलग्न साईट प्लान अनुसार पुनर्गठन उपरान्त उपविभाजन करने बाबत्। |

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 308/1 का कार्यालय युआईटी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 16 बनाप 1388.88 वर्गगज व 17 बनाप 1388.88 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 16 व 17 कुल बनाप 2777.77 वर्गगज का संलग्न साईट प्लान अनुसार पुनर्गठन उपरान्त उपविभाजन पहुंच मार्ग की रिपोर्ट जोन स्तर पर सुनिश्चित कर ले–आउट प्लान संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2021 अनुसार उपविभाजित भूखण्डों पर भवन मानदण्ड, प्रचलित भवन विनियम अनुसार किये जा सकेगें। प्रकरण में दिनांक 04.01.2023 को विज्ञप्ति जारी की गयी। उक्त के क्रम में आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः समिति में प्रस्तुत किया जावें।

| तहसीलदार (जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण | सहायक नगर नियाजक(जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण | अधिशाषी अभियन्ता (जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण | उपायुक्त (जोन 03) जोधपुर विकास प्राधिकरण |
|---|---|---|---|

क्रमांक: F37.(3) / नि.आ. / जो.स्त.स. / का.वि. / 2023 / 5315-20 दिनांक:- 06/01/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन03, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन03, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक ( जोन03)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर